संख्या-26 /1553 ई-2/तेरह-2017-22/2012

प्रेषक

विनोद कुमार तिवारी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
मथुरा।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ:: दिनांक 07 जुलाई,2017

विषय:- होटल सिल्वर स्टार अग्रसेन चौक, मसानी रोड, मथुरा को एफ0एल0-6(समिश्र) बार अनुज्ञापन स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

---

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन को सम्बोधित अपने पत्र संख्या- 1093/पांच-बी/ आ0लि0-बार अनुज्ञापन/ 2015-16 दिनांक 21 जनवरी, 2016 तथा पत्र संख्या- 103/पांच-बी/ आ0लि0/2017-18 दिनांक 24 जून, 2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संदर्भगत प्रकरण में जिला बार समिति की बैठक दि0 10-06-2015 में की गई संस्तुति एवं इसी संदर्भ में आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के पत्र संख्या- जी-186/दस-लाइसेंस-23/एफ0एल0 6-7/बार अनु0/मथुरा, दिनांक 30 जनवरी,2016 पत्र संख्या- जी-40/दस-लाइसेंस-23/एफ0एल0 6-7/ बार अनु0/मथुरा, दिनांक 15 मई,2016 तथा पत्र संख्या- जी-161/दस-लाइसेंस-23/एफ0एल0 6-7/बार अनु0/मथुरा, दिनांक 12 मई, 2017 में की गई संस्तुति व अन्य सुसंगत अभिलेखों पर सम्यक् विचारोपरान्त श्री संजीव कुमार कपिला पुत्र श्री किशन कुमार कपिला एवं श्री अंश कुमार कपिला पुत्र श्री संजीव कुमार कपिला, नि0- 77सी, कृष्णानगर, मथुरा के नाम होटल सिल्वर स्टार अग्रसेन चौक, मसानी रोड, मथुरा को वर्ष 2017-18 के लिये एफ0एल0-6(समिश्र) बार अनुज्ञापन स्वीकृत किये जाने की अनुमति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है।

कृपया तदनुसार आगामी आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,
( विनोद कुमार तिवारी )
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-26/2017/1553(1) ई-2/तेरह-2017,तद्दिनांक

उपर्युक्त की प्रति आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के पत्र संख्या- जी-186/दस-लाइसेंस-23/एफ0एल0 6-7/बार अनु0/मथुरा, दिनांक 30 जनवरी,2016 पत्र संख्या-जी-40/दस-लाइसेंस-23/एफ0एल0 6-7/ बार अनु0/मथुरा, दिनांक 15 मई,2016 तथा पत्र संख्या- जी-161/दस-लाइसेंस-23/एफ0एल0 6-7/बार अनु0/मथुरा, दिनांक 12 मई, 2017 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,
( विनोद कुमार तिवारी )
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।